

सेवा में,

1. मुख्य लेखाकार, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक लेखा, केन्द्रीय कार्यालय सी-7, दूसरी मंजिल, बान्द्रा कुर्ला परिसर, पो.बा.नं.8143, बांद्रा ईस्ट मुम्बई -51
2. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समस्त महाप्रबंधक।
3. नोडल अधिकारी, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, आईडीबीआई बैंक।
4. समस्त प्रबंधक, केन्द्रीय पेंशन प्रकीर्णन केन्द्र।
5. सैन्य एवं वायु अटैची, भारतीय दूतावास, काठमांडू, नेपाल।
6. रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (प.क.) चंडीगढ़।
7. रक्षा लेखा नियंत्रक (पें. संवि.) आयुध पथ मेरठ छावनी।
8. रक्षा लेखा नियंत्रक टेईनामपेट, चेन्नई।
9. समस्त राज्यों के कोषागार निदेशक।
10. वेतन लेखा अधिकारी, दिल्ली प्रशा. , आर के पुरम् एवं तीसहजारी नई दिल्ली।
11. वेतन लेखा कार्यालय, महाराष्ट्र सरकार, मुम्बई।
12. डाकपाल कटुआ, ज.व का. एवं कैम्प बेल वे।
13. प्रधान वेतन एवं लेखाधिकारी, अंडमान एवं निकोबार प्रशा., पोर्ट ब्लेयर।

विषय: रक्षा बल कार्मिकों का वन रैंक वन पेंशन।

संदर्भ: रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक- 12(1)/2014/D(Pen/Policy)-Part-II,

दिनांक-07.11.2015 एवं 03.02.2016 तथा इस कार्यालय का परिपत्र सं.555, दिनांक-

04.02.2016 और संशोधित परिपत्र सं.557, दिनांक-17.03.2016, परिपत्र सं.566,

दिनांक-16.09.2016, परिपत्र सं.580, दिनांक-05.07.2017, परिपत्र सं.581, दिनांक-

02.08.2017।

रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक- 12(1)/2014/D(Pen/Policy)-Part-II, दिनांक-17.10.2018 की एक प्रति जो स्वतः स्पष्टीकृत है, अग्रतर कार्यवाही एवं त्वरित कार्यान्वयन हेतु अग्रषित किया जाता है।

2-रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार का दिनांक-17.10.2018 को जारी परिपत्र के परिणामस्वरूप सरकार के पूर्वोक्त विद्यमान उल्लिखित टेबल सं.5, 14, 23, 32, 41, 50, 63, 64, 74, 83 एवं 92 को संशोधित किया गया है। प्रभावित पेंशनरों के पेंशन की समीक्षा की जानी चाहिए एवं संशोधित तालिका के अनुसार संशोधन किया जाना चाहिए। तथापि 01.07.2014 की प्रभावी तिथि से संशोधित तालिका के अनुसार इन मामलों में पुनरीक्षित पेंशन यदि 30.06.2014 को मिल रहे पेंशन से कम हो तो इन्हें संशोधित नहीं किया जाएगा।

3-पुनः तालिका सं.7 में 13 वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण करने वाले मानद नायब सूबेदारों को उतनी ही अवधि तक अर्हक सेवा पूरी करने वाले निचले रैंक के हवलदार जैसे पदधारियों को पेंशन दरों के परिप्रेक्ष्य में कोई भी संरक्षण नहीं दिया गया है। अतः तालिका सं.7 में निम्नानुसार संशोधन कर लिया जाए।

रैंक	मानद नायब सूबेदार
ग्रुप	एक्स
अर्हक सेवा	13 वर्ष
के लिए	8078
पढ़ा जाए	8136

4- किसी प्रकार का बकाया/पेंशन के अधिभुगतान की वसूली संबंधित पेंशन संवितरण एजेंसी द्वारा वर्तमान नियमों/प्रक्रियाओं के अनुसार समायोजित किया जाएगा।

5- अन्य नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

6- इस परिपत्र को सभी संबंधित पक्षों की जानकारी हेतु इस कार्यालय की वेबसाइट www.pcdaenion.nic.in पर अपलोड कर दिया गया है।

(संदीप ठाकुर)

अपर नियंत्रक (पेंशन)

सं. स्वी./तक./0167/XXIX

दिनांक 26.10.2018

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव कार्मिक एवं लोक शिकायत व पेंशन (पेंशन व पेंशनर कल्याण विभाग) मंत्रालय, भारत सरकार, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली।
2. निदेशक (पेंशन), रक्षा मंत्रालय भारत सरकार (पेंशन/ सेवाएं), सेना भवन, विंग- ए नई दिल्ली
3. नौसेना मुख्यालय पेंशन भुगतान व ए, डीएचक्यू पोस्ट नई दिल्ली।
4. डीपीए वायु भवन नई दिल्ली -11।
5. वायु सेना मुख्यालय, पता पीपी व पी-3, पश्चिमी खण्ड-6 आर के पुरम् , नई दिल्ली 66
6. वरिष्ठ रक्षा लेखा उप महानियंत्रक (लेखा परीक्षा-2), कार्यालय र.ले.म.नि., उलन बटार रोड, पालम दिल्ली छावनी-10।
7. रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (नौसेना) नं. 1 कुपरेज रोड मुम्बई -400039।
8. रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (प.क.) चंडी मंदिर, चंडीगढ ।
9. रक्षा लेखा नियंत्रक (वा.से.) पश्चिमी खण्ड -5 आर.के.पुरम् नई दिल्ली -66
10. रक्षा लेखा नियंत्रक टेईनामपेट, चेन्नई ।
11. रक्षा लेखा नियंत्रक (पें. संवि.) आयुध पथ मेरठ छावनी।

12. रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक (वा.से.) सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली-10।
13. निदेशक लेखा परीक्षा, रक्षा सेवाएं, नई दिल्ली।
14. समस्त रेजीमेंट, कॉर्प्स।
15. नौसेना पेंशन कार्यालय द्वारा आई.एन.एस., सायन- ट्रॉम्बे रोड, मानखुर्द मुम्बई-400086
16. वायु सेना अभिलेख कार्यालय, धौला कुआं, दिल्ली छावनी।
17. निदेशक एम.पी.8 (आई ऑफ आर) समेकित मुख्यालय , रक्षा मंत्रालय (सेना) एडजुटेंट ब्रॉच, एम.पी. /एम.पी.8(आई ऑफ आर) अपर महानिदेशक , पश्चिमी खण्ड -3 आर.के.पुरम्, नई दिल्ली-66
18. प्रभारी अधिकारी समस्त अभिलेख/ वेतन लेखा कार्यालय ।
19. मुख्य कार्यालय के सभी अपर नियंत्रक/संयुक्त नियंत्रक।
20. मुख्य कार्यालय के सभी वर्गाधिकारी।
21. प्रभारी अधिकारी जी-1 सैन्य (तक.), लेखा परीक्षा- अन्य श्रेणी (तक.) व जी-1 सिविल(तक.) ।
22. स्वीकृति/अन्य श्रेणी परिसर के समस्त वरि.लेखाधिकारी /लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी
23. प्रभारी अधिकारी ई.डी.पी. मै.
24. प्रभारी अधिकारी ई.डी.पी. सेन्टर
25. प्रभारी अधिकारी पी.एच.पी सेल, ई.डी.पी. सेन्टर
26. मुख्य कार्यालय के समस्त अनुभाग।
27. प्रभारी अधिकारी जी-2 अनुभाग
28. प्रभारी अधिकारी जी-3 अनुभाग
29. प्रभारी अधिकारी जी-4 अनुभाग
30. प्रभारी अधिकारी सं.एवं प. अनुभाग
31. प्रभारी अधिकारी शिकायत कक्ष।
32. प्रभारी अधिकारी संगणक केन्द्र को इस परिपत्र को वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
33. रक्षा पेंशन लाइजन कक्ष।
34. प्रभारी अधिकारी स्वागती कक्ष स्थानीय।
35. निदेशक रक्षा पेंशन प्रशिक्षण संस्थान इलाहाबाद।
36. अतिरिक्त प्रतियां ।

(ए.के.मालवीय)
वरि.लेखाधिकारी (पेंशन)